REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
राज्यपाल
LIVE
28-01-2025 07:00 P

राज्य सरकार

- विधायिका
  - ↓ राज्य विधानमण्डल
  - ↓ कानून बनाना
- कार्यपालिका
  - ↓ कानून को लागू करना
    - राज्यपाल
    - मुख्यमंत्री
    - मंत्रिपरिषद
    - महाधिवक्ता
- न्यायपालिका
  - ↓ कानून की जांच करना

राज्यपाल

→ भाग – 6

→ अनु. 153–161

→ प्रावधान → कनाडा

→ सम्बोधन → माननीय राज्यपाल

अनु. 153 → प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा

7 वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है।

अनु. 154 → राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वंय अथवा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में ले सकता है।

→ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

अनु. 155 → राज्यपाल की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करके

Note राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर सहित अधिपत्र को विधानसभा में मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।

परम्परा

1. राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए
2. राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेनी चाहिए।

अनु. 156 → राज्यपाल का कार्यकाल

(i) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करता है।

(ii) राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा।

(iii) राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा।

* राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उनके उत्तराधिकारी कि नियुक्ति कर दी जाती है।

* भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनु. 157 → राज्यपाल की योग्यता

① भारत का नागरिक

② 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो।

अनु 158 → राज्यपाल की सेवाशर्तें

(i) राज्यपाल विधान मण्डल व संसद का सदस्य नहीं होगा

(ii) राज्यपाल के लिए बिना किराया का आवास होगा

(iii) राज्यपाल के वेतन-भत्ते राज्य संचित निधि पर भारित होगा

राज्यपाल का मासिक वेतन 3.50 लाख होता है। [मूलत: 5500]

Note - यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा।

अनु. 159 → राज्यपाल को शपथ

राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ जज द्वारा।

अनु. 160 → राज्यपाल को अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है [राष्ट्रपति]

→ HC के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है।

अनु. 161 – क्षमादान करने की शक्ति

राज्यपाल की शक्तियां

- → कार्यकारी शक्तियां
- → वित्तीय शक्तियां
- → न्यायिक शक्तियां
- → स्वविवेकिय शक्तियां